अत्यावश्यक सेवाओं की घोषणा

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य में 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एंबुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं के साथ जुड़े समस्त कार्यालय एवं कर्मचारीयों तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को 6 दिसंबर, 2021 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेशानुसार उक्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।
- इसे मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत तुरंत प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाएँ जिनका संचालन प्रदाता कंपनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनटिग्रेटेड एंबुलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/declaration-of-urgent-services